अखिलेश को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कई जिलों में सपा का प्रदर्शन

इटावा में बस पर चढ़े, ट्रक के सामने लेटे सपाई, कन्नौज में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। दिल्ली में नीट पेपर लीक और युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने पर कानपुर के आसपास के जिलों और बुंदेलखंड का सियासी पारा चढ़ गया। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार देर शाम जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

इटावा में देर शाम करीब पौने आठ बजे शास्त्री चौराहे पर सपाइयों ने इंदगाह की ओर से आ रही रोडवेज बस को बीच रास्ते में रोक लिया। कुछ कार्यकर्ता बस पर चढ़ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। काफी मशक्कत के बाद बस से नीचे उतारा गया। इसी बीच ट्रक के सामने भी कई कार्यकर्ता लेट गए। कुछ देर के लिए यातायात ठप हो गया। भरथना में दिबियापुर से विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जवाहर रोड स्थित अब्दुल हमीद चौराहा पर धरना दिया।

इटावा शहर के शास्त्री चौराहे पर प्रदर्शन करते सपा नेता और कार्यकर्ता। संवाद

बांदा में सपाइयों ने निकाला विरोध मार्च

बांदा। सपा कार्यकर्ता बाबूलाल चौराहे पर एकत्र हो गए। कार्यकर्ताओं ने सपा मुखिया की फोटो लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सपा कार्यकर्ता बाबूलाल चौराहे से गुलर नाका होते हुए माहेश्वरी देवी मंदिर की ओर बढ़े। यहां चौक पर करीब आधे घंटे तक सौ से अधिक सपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। ब्यूरो

कन्नौज में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ तीखे नारे लगाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तत्काल रिहाई की मांग की। उरई में सपा नेताओं ने गांधी चबूतरे पर धरना-प्रदर्शन किया। वहीं, औरैया और विधूना में सपाइयों ने प्रदर्शन किया। विधूना विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रानू पालीवाल ने नेतृत्व किया। फर्रुखाबाद में सपा ने आवास विकास कॉलोनी स्थित लोहिया प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। फतेहपुर के खागा में चौक चौराहे पर सड़क किनारे जमीन पर बैठ गए और दोनों नेताओं को रिहा किए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की।

चलती बाइक पर गिरा पेड़, छात्र की गई जान

औरास (उन्नाव)। संडीला-चकलवंशी मार्ग पर थाने से 500 मीटर पहले तेज हवा चलने से पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे दबकर छात्र की मौत हो गई जबकि अलग-अलग बाइक सवार भाई-बहन सहित चार लोग घायल हो गए।।

थानाक्षेत्र के गोबरहा गांव निवासी सुजीत (19) गांव के दोस्त विशाल (14) के साथ मंगलवार दोपहर करीब दो बजे बाइक से औरास बाल कटवाने गया था। दुकान पर भीड़ होने से बिना बाल कटवाए और दोनों घर लौट रहे थे। संडीला-चकलवंशी मार्ग पर औरास थाने से संडीला की ओर दोनों पहुंचे थे तभी अचानक चिलवल का पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से सुजीत, विमल के साथ दूसरी बाइक सवार सीमऊ निवासी अंकित (24), उसका भाई अरुण (18) और बहन रिंकी (16) घायल हो गए। हादसा देख चालकों ने गाड़ियों को खड़ी कर मौजूद लोगों की मदद से पेड़ के नीचे दबे सभी पांचों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी भिजवाया। डॉक्टर ने सुजीत गौतम को मृत घोषित कर दिया। संवाद

महिला ने वीडियो बना जान दी, चार को बताया जिम्मेदार

कानपुर के युवक से हुई थी शादी, पति को बताया निर्दोष

इटावा। चार सहकर्मियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा लिपिक की पत्नी ने सोमवार रात फंदा लगाकर जान दे दी। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुंदावन कॉलोनी की है।

गले में फंदा लगाकर वीडियो बनाती कोमल मिश्रा।

आत्महत्या करने से पहले महिला ने वीडियो बनाया। इसमें उसने चारों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा दिलाने की मांग की। वीडियो में पति को निर्दोष बताया। पति ने चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।

कानपुर नगर के कल्याणपुर स्थित जगतपुरी निवासी सौरभ द्विवेदी बड़पुरा ब्लॉक में लिपिक हैं। वह पत्नी कोमल मिश्रा (26), एक बेटी और एक बेटे के साथ वृंदावन कॉलोनी में किराये के मकान में रहते थे। सोमवार रात कोमल ने घर के अंदर चादर का फंदा बनाकर आत्महत्या की। खुदकुशी करने से पहले कोमल ने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने रूबी खान, सबीना खान, अभिषेक सिंह और रितेश का नाम लेते हुए कहा कि वह इन लोगों की वजह से यह कदम उठा रही है।

उसने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसका परिवार बर्बाद कर दिया और, लगातार मानसिक रूप से परेशान किया। कोमल मेकअप आर्टिस्ट थी। चारों उसके साथ काम करते थे।सिविल लाइन थाने के कार्यवाहक निरीक्षक दिवाकर सरोज ने बताया कि पति ने चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

आरोपियों में दो महिलाएं शामिल

रेल पटरी चटकी, ब्लॉक लगाकर बदला गया

अछल्दा (औरैया)। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर सुबह कीमैन को डाउन लाइन की पटरी चटकी दिखाई दी। रेलवे कर्मचारियों ने मौके का निरीक्षण कर ब्लॉक लगाकर चटकी पटरी बदलकर नई पटरी लगाई।

मंगलवार सुबह कीमैन ने रेलवे के पीडब्ल्यूआई को सूचना दी कि रेलवे क्रासिंग से कुछ दूरी पर डाउन रेल लाइन की पटरी पर चटकन का निशान हैं। इस पर पीडब्ल्यूआई सहित अन्य रेल कर्मियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डाउन रेल लाइन पर 30 किलोमीटर का कांशन लगाकर धीमी गति से ट्रेनों को निकाला गया। रेल कर्मियों ने दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक ब्लॉक लगाकर पटरी को बदला। संवाद

RAMA HOSPITAL | INSTITUTE OF CARDIAC SCIENCES

हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है...
हर अनियंत्रित रीडिंग आपके मस्तिष्क, हृदय एवं गुर्दे को जोखिम में डालती है।
नियमित रक्तचाप की जांच करवाएं ...

Super Speciality PG Institute (DM-Cardiology)

24x7 इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध
एन्जियोग्राफी | टी.एम.टी./होल्टर/स्लीप स्टडी
एन्जियोप्लास्टी | वाल्व का बंद या लीक होना
पेसमेकर | दिल का दौरा
24x7 Emergency

www.ramahospital.com

पिलखुवा, हापुड़ 7877775530 | भंधना, कानपुर 7310473105 | लखनपुर, कानपुर 7081570570 | बागपत 9520882967

पढ़ें, कहां मिल रही हैं कितनी नौकरियां amarujala.com पर

गुजरात ने रचा इतिहास : एक साल में 49.79 मिलियन टन घटाया कार्बन

गांधीनगर। गुजरात ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य ने 49.79 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम किया है। यह एक साल में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। इस दौरान गुजरात ने रिकॉर्ड 67,655 मिलियन यूनिट ग्रीन बिजली का उत्पादन भी किया। सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से विस्तार से यह संभव हुआ है। पिछले पांच वर्षों में राज्य ने कुल 179 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम किया है। यह गुजरात के कुल वार्षिक उत्सर्जन का लगभग 40 प्रतिशत है।

राज्य की इंटीग्रेटेड आईई पॉलिसी 2026, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और गुजरात पंप स्टोरेज पॉलिसी जैसी नीतियों से इस अभियान को रफ्तार मिली है। जीयूवीएनएल, जीईडीए और जीपीसीएल जैसी संस्थाओं के प्रयासों से पावर जनरेशन में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ी है। इससे हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2070 तक भारत को नेट जीरो बनाने के लक्ष्य में गुजरात बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए राज्य ने 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। एजेंसी

अर्थी पर लेटी पत्नी की मांग में सिंदूर भरने के बाद दम तोड़ा

कंचौसी/औरैया। टीबी की बीमारी से पत्नी की मौत का सदमा पति भी बर्दाश्त नहीं कर सका। पत्नी की अंत्येष्टि की तैयारी के दौरान उसकी मांग में सिंदूर भरते समय पति ने भी दम तोड़ दिया। मधवापुर गांव में एक साथ दोनों की अर्थी उठी तो कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। इसके बाद पति-पत्नी दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।

गांव मधवापुर निवासी श्यामल दास (40) की पत्नी पिंकी (35) चार साल से टीबी की बीमारी से ग्रसित थी। उनका कानपुर में प्राइवेट अस्पताल से इलाज चल रहा था। सोमवार की शाम पिंकी की मौत हो गई। रात भर श्यामल दास पिंकी के शव के पास बैठा रहा। कभी वह पिंकी का चेहरा देखता तो तभी उसका हाथ पकड़कर रोने लगता। मंगलवार सुबह पिंकी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। तभी उसकी मांग में सिंदूर भरते समय पति श्यामलदास वहीं लड़खड़ाकर गिर गया। वह पत्नी की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसकी भी मौत हो गई। उधर, पत्नी के बाद पति की मौत से परिवार और पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बताया कि श्यामल दास पत्नी से बहुत प्रेम करता था। बीमारी में उसने पत्नी की बहुत सेवा की थी। हमेशा कहता था कि पिंकी को कुछ हो गया तो वह भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वह पूरी रात बेसुध होकर रोता रहा। उधर, श्यामलदास के ससुर रामसनेही ने दोनों के अंतिम संस्कार का इंतजाम कराया। ग्रामीणों ने दोनों की अर्थी एक साथ उठाई और नदी किनारे एक साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया। (संवाद)

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अपना अखबार शुरू करवाने के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

भरोसा 100 वर्षों का

HICKS®
डिजिटल थर्मामीटर
डॉक्टर की पसंद

मॉडल नं. DMT-102
20 सेकंड में तापमान नापे

देश का नंबर 1 थर्मामीटर

बादल स्पेशल चूर्ण वालों का उत्कृष्ट उत्पाद

स्वाद और चटकारे की बोली

छोटा पैक अब मात्र रु.20/- में (IAT) Net Weight - 25g., उपलब्ध

बादल हींग गोली

www.badalchuran.in 9627392450

कब्ज, गैस? पेट करे साफ
टेबलेट व हर्बल चूर्ण
कैस्टोफीन®
For Stockistship apply 8601841515
Available at TATA 1mg amazon

SIKSHA 'O' ANUSANDHAN

SAAT-2026

Empowering students for a brighter future

AGRICULTURAL PROGRAMMES
- B.Sc. (H) Agriculture
- M.Sc. Agriculture

APPROVAL & RECOGNITIONS
- Approved by UGC
- Accredited by ICAR
- Re-accredited by NAAC with A++ Grade
- Granted with Category-1 Graded Autonomy by UGC

NIRF INDIA RANKINGS 2025
- 15th Best in University Category
- 25th Best in Overall Category

INTERNATIONAL RANKINGS 2026
- Ranked in QS World Rankings 2026
- Ranked in Times World Rankings 2026

To apply for admission through SAAT, Please visit: www.soa.ac.in

उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

पत्रांक- 1505/19(2026)/प्रविधान-विज्ञापन/2026-27 दिनांक- 21/07/2026

संक्षिप्त विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-02/2026 द्वारा प्रशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा महाविद्यालयों व महिला महाविद्यालयों के प्राचार्य के 111 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया जा रहा है। विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक निर्देश, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, रिक्तियों का विवरण, आयु, वेतनमान, पात्रता परीक्षा योजना इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण विस्तृत विज्ञापन में प्रदर्शित किया गया है। **प्राचार्य पद पर आवेदन हेतु OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन पद्धति (OTR Based Online Application System) लागू है।**

अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट- www.upessc.up.gov.in पर विस्तृत विज्ञापन को सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त दिनांक 21.07.2026 से आवेदन कर सकते हैं। आयोग अभ्यर्थियों को पात्रता के सम्बन्ध में पृथक से कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं तभी आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए User Manual हिन्दी व अंग्रेज़ी में तथा प्रशिक्षण वीडियो (Tutorial Videos) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिन्हें आवेदन करने से पूर्व देखा जा सकता है।

विज्ञापन सम्बन्धी महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत हैं:-

- **ऑनलाइन पंजीकरण (O.T.R.)/आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि** - 21.07.2026
- **ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि** - 20.08.2026
- **ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अन्तिम तिथि** - 23.08.2026
- **परीक्षा तिथि** - 24.09.2026

पत्रांक: 1506/19(2026)/प्रविधान-विज्ञापन/2026-27
दिनांक: 21.07.2026

उपसचिव
उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

आवश्यक सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रत्यगत नगर भूखण्ड सं० 82, ब्लाक-एल-1 योजना-2 बगाही, कानपुर, क्षेत्रफल 583 वर्गगज, भू-प्रयोग आवासीय की मूल लीजडीड दिनांक 29.10.1971 को कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर नगर महापालिका कानपुर द्वारा श्री रफी अहमद पुत्र श्री हलीम अहमद के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उक्त भूखण्ड के मूल स्वामी श्री रफी अहमद की मृत्यु दिनांक 10.03.2009 को एक इनकी पत्नी श्रीमती नाहीद खातून की मृत्यु दिनांक 14.06.1996 को हो चुकी है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत किये गये मृत्यु प्रमाण पत्रों से होती है। कार्यालय उप निबन्धिकर्ता (सदर) कानपुर नगर द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सं० 2462 / आर० बीज 0/2015 दिनांक 15.06.2015 के अनुसार मृतक स्व० रफी अहमद के परिवार में निम्न पारिवारिक सदस्य है:-

1. श्री रफी अहमद, मृतक का पुत्र, उम्र 52 वर्ष, 2. श्री वियाज अहमद, मृतक का पुत्र, उम्र 48 वर्ष, 3. श्रीमती साजदा परवीन, मृतक की पुत्री (विवा०), उम्र 45 वर्ष, 4. श्री रिजाज अहमद, मृतक का पुत्र, उम्र 48 वर्ष। उपरोक्त के अलावा मृतक के परिवार में अन्य कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र पर उल्लिखित कम सं० 03 पर अंकित सदस्य द्वारा कम सं० 01, 02 व 04 पर अंकित सदस्यों (श्री रफी अहमद, श्री नियाज अहमद एवं श्री रिजाज अहमद) के पक्ष में वसीयतनामा किये जाने हेतु अपना हक छोड़ने हेतु फोटोग्राफ सहमति अपना पत्र प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार आवेदकों कम० श्री रफी अहमद, श्री नियाज अहमद एवं श्री रिजाज अहमद पुत्रगण स्व० रफी अहमद द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर विरासतन नामान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या उक्त सम्पत्ति में अन्य कोई अपना हक रखता हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति समस्त साक्ष्यों सहित प्राधिकरण स्थित एकल विण्डो काउण्टर में उपलब्ध कराएं, समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उक्त भूखण्ड के मूल स्वामी श्री रफी अहमद पुत्र श्री हलीम अहमद का नाम पृथक करते हुए विरासतन के आधार पर श्री रफी अहमद, श्री नियाज अहमद एवं श्री रिजाज अहमद पुत्रगण स्व० रफी अहमद के पक्ष में संयुक्त रूप से विसमपुरवार नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, इसके उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जोनल प्रभारी अधिकारी (विकास जोन-4)

ई-नीलामी विक्रय सूचना

सरफेसी अधिनिम 2002 के अंतर्गत

बैंक ऑफ़ इंडिया रिश्तों की जगा पूंजी

आंचलिक कार्यालय
128/24 अंग लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर-208011, दूरभाष : 0512-2985004

प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यों), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक / सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) धरोहर राशि (लाख में) बोली वृद्धि राशि
	कानपुर एसएमई शाखा, 52-ए, को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, दादा नगर, कानपुर, (उ.प्र.) पिन कोड 208022		
1.	**ऋणी: मेसर्स श्री नागेश्वर पेपर लिमिटेड निदेशक एवं जमानतकर्ता (संजय अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी):** 1. श्री शिखर अग्रवाल पुत्र संजय अग्रवाल, 2. श्री प्रखर अग्रवाल पुत्र संजय अग्रवाल **जमानतकर्ता (संजय अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी):** श्रीमती संगीता अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल **पूर्व निदेशक एवं जमानतकर्ता:** स्वर्गीय श्री संजय अग्रवाल (अब मृतक) **मांग सूचना दिनांक: 02.05.2025 राशि: रू. 7,14,12,673.95** + ब्याज दिनांक 28.05.2024 से देय एवं अन्य खर्चे (मय में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 23.07.2025 / सांकेतिक**	**सम्पत्ति सं. 1:-** भूमि व भवन का सामिक बंधक स्थित आराजी सं. 142 का भाग, ग्राम फतेपुर रोशनी, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात **क्षेत्रफल: 11575 वर्ग मीटर** **मालिक: मेसर्स श्री नागेश्वर पेपर लिमिटेड** **सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्व:** आराजी संख्या 143 एवं 144, **पश्चिम:** रायपुर-गजनेर रोड, **उत्तर:** आराजी संख्या 142 का शेष भाग, **दक्षिण:** आराजी संख्या 142 का शेष भाग, **मालिक:** विकास अग्रवाल एवं आराजी संख्या 129, 140 **सम्पत्ति सं. 2:-** भूमि व भवन का सामिक बंधक स्थित आराजी सं. 142 का भाग, ग्राम फतेपुर रोशनी, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात **क्षेत्रफल: 14600 वर्ग मीटर** **मालिक: मेसर्स श्री नागेश्वर पेपर लिमिटेड** **सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्व-** विक्रेता का शेष भाग, **पश्चिम-** रायपुर-गजनेर रोड, **उत्तर-** विक्रेता का शेष भाग, **दक्षिण-** विक्रेता का शेष भाग	रू. 522.58 रू. 52.25 रू. 50,000/-
		रू. 790.20 रू. 79.02 रू. 50,000/-	

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 24.08.2026 शाम 02.00 बजे तक
उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई-नीलामी दिनांक 25.08.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक (5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तें:- 1. यह ई-नीलामी **"जहां है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति भार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वात्न्त्र रूप से सभी भार, टाइटिल क्लेम सांविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है। 4. इच्छुक निविदाकर्ता वेब पोर्टल **https://www.BAANKNET.com** पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। 5. वेब पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वेब पोर्टल में अपलोड कर ले। 1. पैन कार्ड की प्रति, 2. आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे- स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट आदि। 6. ई-नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होने ईएमडी भुगतान **दिनांक 24.08.2026** तक रात्य समय से कर दिया है, ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू 50 लाख तक है तो निविदाकर्ता निविदा की राशि रु. 25000/- के खण्ड में ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रु. 50000/- होगी। 9. उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उनके ईमेल पते पर दे जायेगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफल बोलीकर्ता की ईएमडी राशि **BAANKNET** वॉलेट में ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीकर्ता की राशि **BAANKNET** से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर **BAANKNET** द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। 12. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी राशि सम्मिलित करके) तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त की ली जायेगी। 13. निविदाकर्ता को यह सलह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी **https://www.bankofindia.co.in, https://www.BAANKNET.com** से प्राप्त कर लें। 14. यदि विक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-IA के अंतर्गत अधिकतम विक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त सीएसटी (जहां भी लागू हो) देय होगा। 15. इच्छुक निविदाकर्ता के पास बिड से संबंधित उचित संसाधन होने चाहिए, इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। 16. बोली आरक्षित मूल्य के ऊपर ही स्वीकार की जायेगी।

ऋणकर्ताओं / जमानतदारों / बंधककर्ता को 30 दिन की विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता / जमानतकर्ता / बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि नीलामी की तिथि के पूर्व भुगतान करने हेतु सूचना दी जाती है। राशि जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आपसे वसूल की जायेगी अथवा उधारकर्ता उपरोक्त दिनांक को बैंक द्वारा उनके खाते में देय राशि की वसूली हेतु आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।

दिनांक: 21.07.2026 | स्थान: कानपुर | प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

कब्जा नोटिस

क्षेत्रीय कार्यालय: कानपुर देहात ग्राम: नबीपुर, पोस्ट-जैनपुर, कानपुर देहात।

अधोहस्ताक्षरी जो "सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एवं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002" के अंतर्गत **"उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक"** का अधिकृत अधिकारी है, द्वारा उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (2) तथा सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (इन्फोर्समेंट) रूल 2002 के रुल 3 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये, निम्नलिखित परिसम्पत्ति की तिथि में जिनका उल्लेख निम्नवत है, को बकाएदारों / जमानतदारों को बकायों ऋणों के संदर्भ में मांग पत्र भेजे गए तथा बकाए की धनराशि के वापसी हेतु 60 दिनों का अधिकतम समय दिया गया ।

निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी एवं अन्य द्वारा मांगी गयी धनराशि जमा न हो सकने पर एतद द्वारा बकाएदारों / जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि बकाएदारों / जमानतदारों के सामने उल्लिखित तिथि को उक्त एक्ट की धारा 13 (4) व रुल 8 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित परिसम्पत्ति का सम्बंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है।

बकाएदारों / जमानतदारों को विशेष रूप में एवं जनसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे निम्नलिखित परिसम्पत्ति का किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करें। इस सम्बन्ध में किया गया कोई संव्यवहार **"उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक"** को देय राशि व उस पर ब्याज के प्रभार के शर्तों के अनुसार होगा । बकाएदारों / जमानतदारों को अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित परिसम्पत्ति का वास्तविक एवं खाली कब्जा देना होगा। यदि बकाएदार / जमानतदार ऐसा नहीं करते है तो अधिकृत अधिकारी उपरोक्त एक्ट की धारा-14 एवं एक्ट की अन्य धाराओं के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट / सी.एम.एम. की मदद से निम्नलिखित परिसम्पत्ति का वास्तविक कब्जा ले लेंगे व अन्य कार्यवाही की जाएगी।

क्र सं	बकायदार व जमानतदार के नाम व निवास	बंधक सम्पत्ति के मालिक का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि रु. हिमांड नोटिस	सांकेतिक कब्जे की तिथि
	मूसा नगर शाखा				
1.	**उधारकर्ता: 1. परवीन बानो** पत्नी स्व० मो. सफी, (सह-उधारकर्ता और मोहम्मद सफी का कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी - वार्ड नंबर 1, गौसगंज, मुसानगर बांगर, कानपुर देहात - 209208। **2. अदनान क़ुरैशी** पुत्र स्व० मो. सफी **3. फ़िज़ा क़ुरैशी** पुत्री स्व० मो. सफी, दोनों स्व० मो. सफी के कानूनी उत्तराधिकारी है। **4. तौहीद क़ुरैशी** पुत्र स्व० मो. सफी कानूनी अभिभावक परवीन के माध्यम से परवीन बानो पत्नी स्व० मो. सफी सभी निवासी -वार्ड नं. 1, गौसगंज, मुसानगर बांगर, कानपुर देहात - 209208 **जमानतदार:** 1. श्री मोहम्मद हलीम पुत्र मो. हबीब निवास